प्रेषक,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)
परती भूमि विकास विभाग,
एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, विभूति खण्ड़ गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
उ0प्र0(शामली, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोडकर)

पत्रांकः 691 / एस.एल.डी.सी. / 2015–16 दिनांक 24 सितम्बर, 2015

विषय :–समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) में अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी व कार्य मानक के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0–297 / 54–1–-13–2(8) 05 टीसी दिनांक 18 जून, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा आई0डब्लू0एम0पी0 में अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी दर व कार्य मानक के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–293 / 54–1–09–2(8) / 05 टीसी दिनांक 17.06.2013 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 17 जून, 2013 में यह प्राविधान किया गया था कि अकुशल श्रमिकों को मनरेगा की भांति रू0 142 / –प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाए तथा कार्यो के आउटपुट (एसओआर)का मानक मनरेगा में प्रचलित आउटपुट (एसओआर) मानक के अनुरूप रखा जाए, परन्तु समय–समय पर अकुशल श्रमिकों की मजदूरी मनरेगा योजना में निर्धारित होती रही है, लेकिन आई0डब्लू0एम0पी0 में पूर्व निर्धारित मजदूरी दर ही प्रभावी है। ग्राम्य विकास विभाग के नवीनतम शासनादेश सं0–837 / अड़तीस–7–2015– 42एनआरईजीए / 2007 दिनांक 01 मई 2015 द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रू0 156.00 प्रतिदिन को पुनरीक्षित करते हुए रू0 161.00 प्रतिदिन निर्धारित की गयी है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी की 17 वीं बैठक दिनांक 30.07.2015 के एजेण्डा बिन्दु सं0–13 (iii) में निर्णय लिया गया है कि आई0डब्लू0एम0पी0 के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर समय–समय पर मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित मजदूरी दर के समतुल्य रखी जाय तथा कार्य आउटपुट का मानक मनरेगा में प्रचलित कार्य आउटपुट के मानक के समान रखा जाए। आई0डब्लू0एम0पी0 में यह दरें एस0एल0एन0 की बैठक तिथि दिनांक 30.07.2015 से प्रभावी होगी।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांकः /एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
2– निदेशक, कृषि उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, स्टेशन रोड, लखनऊ।
4– अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
5– अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
6– संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7– समस्त उप निदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
8– समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
9– गार्ड फाइल।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी